



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271622  
CG-DL-E-07042026-271622

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1693]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2026/चैत्र 17, 1948

No. 1693]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2026/CHAITRA 17, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026  
सं. 04/2026-27

विषय: आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-2 (निर्यात नीति) के अध्याय 44 के तहत बुड पेलेट्स (एचएस 44013100) और बुड ब्रिकेट्स (एचएस 44013200) की निर्यात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ.1761(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-2 (निर्यात नीति) के अध्याय 44 के तहत निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करती है:

आइटीसी (एचएस)कोड	मद विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
44013100	लकड़ी का बुरादा और लकड़ी का अपशिष्ट और स्क्रेप, जो लट्टों, ब्रिकेट्स, पेलेट्स या इसी तरह के रूपों में जमा हो : - - वुड पेलेट्स	निषिद्ध	प्रतिबंधित	(1) लट्टे, लकड़ी, टूठ, जड़, छाल, चिप्स, पाउडर, गुच्छे, धूल और लकड़ी का कोयला (केवल आयातित लट्टों/लकड़ी से बनी लकड़ी के अलावा) के रूप में लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों का निर्यात अनुमत नहीं है। (2) तथापि, चंदन के तेल रहित बचे हुए चूर्ण का निर्यात प्रतिबंधित है और समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित शर्तों के अधीन सीमित निर्यात प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात की अनुमति दी जाती है।	सीमित निर्यात प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात की अनुमति होगी।
44013200	वुड ब्रिकेट्स	मुक्त	प्रतिबंधित	-	सीमित निर्यात प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात की अनुमति होगी।

## 2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

आइटीसी (एचएस) कोड 44013100 और 44013200 के अंतर्गत शामिल मदों की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर क्रमशः "निषिद्ध" से "प्रतिबंधित" और "मुक्त" से "प्रतिबंधित" किया जाता है। तदनुसार, इन मदों के निर्यात को केवल सीमित निर्यात प्राधिकार पत्र के तहत ही अनुमति दी जाएगी।

[फा. सं. 01/91/171/166/एएम21/पार्ट-I/45738]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2026

**No. 04 /2026-27**

**Subject: Amendment in Export Policy and Policy Condition of Wood Pellets (HS 44013100) and Wood Briquettes (HS 44013200) under Chapter 44 of ITC (HS) 2022, Schedule-2 (Export Policy) - regarding.**

**S.O. 1761(E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 as amended, read with Para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments to Export Policy under Chapter 44 of ITC (HS), 2022, Schedule 2 (Export Policy), with immediate effect as under:

ITC(HS) Code	Item description	Existing Export Policy	Revised Export Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
44013100	Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms : -- Wood pellets	Prohibited	Restricted	(1) Export of Wood and wood products in the form of logs, timber, stumps, roots, bark, chips, powder, flakes, dust, and charcoal (other than sawn timber made exclusively out of imported logs/timber) is not permitted. (2) However, Export of Sandalwood De-oiled Spent Dust is Restricted and Export is permitted under a Restricted Export Authorisation subject to conditionalities as may be notified by DGFT from time to time	Export shall be permitted under a Restricted Export Authorization.
44013200	Wood briquettes	Free	Restricted	-	Export shall be permitted under a Restricted Export Authorization.

**2. Effect of this Notification:**

The Export Policy of items covered under ITC (HS) Codes 44013100 and 44013200 is revised with immediate effect from “Prohibited” to “Restricted” and from “Free” to “Restricted,” respectively. Accordingly, exports of these items shall be permitted only under a Restricted Export Authorization.

[F.No. 01/91/171/166/AM21/Part-I/E- 45738]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade &  
Ex-Officio Addl. Secy.